



प्रेस नोट

जनपद सीतापुर

गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक:- 4.11.22

पुलिस अधीक्षक श्री घुले सुशील चंद्रभान द्वारा जनपद सीतापुर में अपराध को अपनी आय का स्रोत बना लेने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त निर्देशों के अनुपालन के क्रम में दिनांक 04.11.22 को अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के निकट पर्यवेक्षण में व क्षेत्राधिकारी लहरपुर के नेतृत्व में थाना लहरपुर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 354/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर सीतापुर में वांछित प्रमोद पुत्र सोनेलाल निवासी पकरिया थाना मानपुर सीतापुर को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पूर्व में अवैध शराब बनाने व बेचने जैसे अभियोग पंजीकृत है। अभियुक्त द्वारा अपराध से अर्जित संपत्ति का पता लगाकर जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी। अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। जनपद में अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही निरन्तर इसी प्रकार प्रचलित रहेगी।

अभियुक्तगण का नाम व पता:- प्रमोद पुत्र सोनेलाल निवासी पकरिया थाना मानपुर सीतापुर

● आपराधिक इतिहास प्रमोद सर्वेश-

1. मु0अ0सं0 14/21 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मानपुर सीतापुर।
2. मु0अ0सं0 323/21 धारा 60(2) आबकारी अधिनियम थाना मानपुर सीतापुर।
3. मु0अ0सं0 68/22 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना मानपुर सीतापुर।
4. मु0अ0सं0 354/22 धारा 2/3 यू0पी0 गैंगेस्टर एक्ट थाना मानपुर सीतापुर।

● पंजीकृत अभियोग:- मु0अ0सं0 354/22 धारा 2/3 यूपी गैंगे0 एक्ट थाना मानपुर सीतापुर

• पुलिस टीम थाना लहरपुर-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री राजीव सिंह
2. उ०नि० श्याम देवराम
3. का० विकास कुमार
4. का० रोबिन सिंह चौहान
5. का० पवन प्रकाश
6. का० सतवीर

